आखिरी जांच: 20 अक्टूबर 2026 · Social Justice and Disabled Welfare Department, Madhya Pradesh

Rashtriya Parivar Sahayata Yojana (Madhya Pradesh)

मध्य प्रदेश केंद्र के राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के मुख्य कमाने वाले सदस्य की मृत्यु होने पर परिवार को नकद सहायता देता है।

क्या मिल सकता है

परिवार को 20,000 रुपये की सहायता, जो पदाभिहित अधिकारी की मंजूरी के बाद संबंधित व्यक्ति के बैंक खाते में जमा की जाती है।

किसके लिए है

मध्य प्रदेश के गरीबी रेखा से नीचे के वे परिवार, जिनके 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम उम्र के मुख्य कमाने वाले सदस्य की स्वाभाविक या दुर्घटना से मृत्यु हुई हो।

मुख्य शर्तें

- मृतक की उम्र 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम रही हो।
- मृतक परिवार का मुख्य कमाने वाला सदस्य रहा हो।
- परिवार भारत सरकार के तय मानक के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बिताता हो।

दस्तावेज़

- आयु प्रमाण पत्र
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- दुर्घटना में मृत्यु होने पर पुलिस में दर्ज प्राथमिकी की प्रति

आवेदन कैसे करें

1. निर्धारित फॉर्म भरकर दस्तावेजों के साथ पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय या लोक सेवा केंद्र में जमा करें। पृष्ठ पर ऑनलाइन लिंक के रूप में socialjustice.mp.gov.in दिया गया है।
2. अधिकारी आवेदन को ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत और शहरी क्षेत्र में नगरीय निकाय को जांच के लिए भेजता है, और जांच रिपोर्ट अधिकारी के पास लौटती है।
3. परिवार पात्र पाया जाए तो अधिकारी राशि मंजूर करता है, वह बैंक खाते में जमा होती है और आवेदक को सूचना दी जाती है।
4. पृष्ठ पर समय सीमा 30 कार्य दिवस बताई गई है और कोई शुल्क नहीं लगता। अपील ग्रामीण क्षेत्र में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के पास, और शहरी क्षेत्र में कलेक्टर या अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के पास होती है।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://cmhelpline.mp.gov.in/KnowYourEntitleDetail.aspx?status=BySchemeFor&pointvalue=5&Schemeid=359
आधिकारिक आवेदन: https://socialjustice.mp.gov.in/
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/madhya-pradesh/mp-national-family-benefit-scheme/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।